प्रदेश में दो करोना संक्रमित मिले

जयपुर। प्रदेश में मंगलवार को तीन दिन बाद दो नए करोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीच किसी भी मरीज के ठीक नहीं होने से एक्टिव केस बढ़कर 7 हो गए हैं।

प्रदेश में मंगलवार को अजमेर और हनुमानगढ़ में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इससे पहले राज्य में शनिवार, रविवार और सोमवार को एक भी नया संक्रमित नहीं पाया गया था। इधर राजधानी जयपुर में आज लगातार आठवें दिन भी कोई नया मरीज नहीं मिला है। जिले में फिलहाल एक ही एक्टिव केस बचा है। उधर प्रदेश में मंगलवार को किसी भी मरीज के ठीक नहीं होने से एक्टिव केस बढ़कर 7 हो गए हैं। इनमें उदयपुर व अजमेर में 2-2, जयपुर, अजमेर, हनुमानगढ़ व राजसमंद में 1-1 मामला है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

पेपरलीक गिरोह के तार कांग्रेस की सत्ता और संगठन तक जुड़े हुए हैं : देवनानी

'इसलिए कांग्रेस राज में पेपर लीक की घटनाएं ना रूकी हैं और ना ही रूकेंगी'

- देवनानी ने कहा प्रदेश में पेपरलीक होने के बावजूद भी सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाएं है।
- उन्होंने कहा कि नौकरियां देने के नाम पर कांग्रेस सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है, एक लाख नौकरियां पांच-छह माह में कैसे दी जाएंगी?

जयपुर (कासं)। पूर्व शिक्षा मंत्री व अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान में पेपरलीक गिरोह के तार कांग्रेस की सरकार और संगठन तक जुड़े हुए हैं, इसलिए कांग्रेस राज में पेपर लीक होने की घटनाएं ना पहले कभी रूकी हैं और ना ही आगे रूकेंगी।

देवनानी ने जारी बयान में कहा कि 19 फरवरी को सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस शासनकाल में अब तक जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनमें से करीब 75 प्रतिशत परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं।

रीट, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती सहित अनेक भर्ती परीक्षाएं इसकी उदाहरण है। इतना सब-कुछ होने के बावजूद कांग्रेस सरकार अभी तक पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाई है। यही नहीं, पेपर लीक गिरोह से जुड़े ऊंचे रसूखदारों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों के हौंसले बुलंद हैं और वे बेखौफ खुलेआम घूम रहे हैं। देवनानी ने कहा कि पेपर लीक होना कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी विफलता का प्रमाण है। विधानसभा में पेपर लीक नहीं होने देने की लंबी-लंबी बातें करने के बाद भी पेपर आउट हो गया। यह सरकार केवल युवाओं को गुमराह करने के सिवाय कुछ नहीं कर रही है।

देवनानी ने कहा कि सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में यह घोषणा की कि अब किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने अनेक इस घोषणा की हवा सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के साथ ही निकल गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पेपर लीक सरकार है। उन्होंने कहा, यह बड़ा ही विचारणीय सवाल है कि जिस सरकार से खुद का बजट लीक होने से बचाया नहीं जा सका, वह पेपर लीक होने की घटनाओं पर कैसे अंकुश लगाएगी।

देवनानी ने कहा कि कांग्रेस सरकार केवल युवाओं की आंखों में धूल झोंक कर उनके सपनों और भविष्य का चकनाचूर कर रही है। पिछले बजट में जिन भर्तियों की घोषणा की गई थी, वह अभी तक नहीं हो पाई हैं और सरकार ने इस साल के बजट में फिर से एक लाख नौकरियां देने की घोषणा कर युवाओं को गुमराह किया है। देवनानी ने कहा कि इस सरकार का कार्यकाल पूरा होने में महज पांच-छह महीने बचे हैं, ऐसे में सवाल यह उठता है कि कब तो भर्तियों के लिए विज्ञप्तियां जारी कर आवेदन मांगे जाएंगे, कब परीक्षाएं व इंटरव्यू होंगे और कब सफल अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी।जब तक आवेदन मांगे जाएंगे और परीक्षाएं कराई जाएंगी, तब तक इस कांग्रेस सरकार के दिन पूरे हो जाएंगे और एक बार फिर युवा अपने आप को ठगा-सा पाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की चाल को युवा अच्छी तरह समझते और जानते हैं, इसलिए युवा वर्ग अब उसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा।

दुकानदार से मारपीट

जयपुर। झालाना डूंगरी स्थित एक दुकान में घुस कर सोनू सरदार, अरविन्द सिंह, गोलू सरदार, अजय सिंह सहित 4-5 अन्य युवको द्वारा दुकानदार से मारपीट करने और सामान तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पाटन, बस्सी निवासी आकाश खारवाल ने इस संबंध में गांधी नगर थाने में रिपोर्ट दी है।

कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा प्रकरण में सुनवाई 6 सप्ताह टली

जयपुर (कासं)। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों से जुड़े मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई छह सप्ताह टल गई। इस मामले में भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड की पीआईएल पर एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ में सुनवाई थी।

राजेन्द्र राठौड की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया है और बुधवार को गुवाहाटी में उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें गुवाहाटी जाना है। इसके अलावा इस मामले में विधानसभा सचिव द्वारा पेश किए गए जवाब का भी प्रति जवाब देना है।

इसके अलावा मामले में हाईकोर्ट द्वारा उठाया गया यह बिंदु भी तय होना है कि किसी एमएलए द्वारा स्पीकर को दिए गए इस्तीफे पर निर्णय करने के लिए कितना समय लिया जाए। ऐसे में मामले की सुनवाई टाल दी जाए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद रखी है।

राठौड के अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने बताया कि विधानसभा सचिव ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर माना था कि एमएलए ने खुद के इस्तीफों को स्वेच्छा से नहीं दिया था और इसलिए उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। जवाब में यह भी कहा था कि 81 एमएलए ने 13 जनवरी, 2023 को स्पीकर के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि उनकी ओर से पूर्व में दिए इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं दिए थे। कानून की नजर में ये इस्तीफे महत्व नहीं रखते है, इसलिए इन इस्तीफों को अस्वीकार किया था।

सरकार से मांगी जहर की पुड़िया

जयपुर (कासं)। नियमितिकरण की मांग कर रहे 5656 मदरसा पैराटीचर्स ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर जहर की पुडिया मांगी है। राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के प्रदेशाध्यक्ष आजम खान पठान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि या तो सरकार मदरसा पैराटीचर्स को नियमित करें, नहीं तो जहर दे दे। इससे आप भी खुश और आपके मंत्री भी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मदरसा पैराटीचर्स को वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जा रही है। वर्ष 2018 से लेकर आज तक आपके और आपके मंत्रियों द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। यहां तक कि नियमित कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन भी दे दी गई।

हार्डकोर क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए 5 राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने बनाई रणनीति

जयपुर में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों ने बैठक की

जयपुर,(कासं)। हार्डकोर क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए जयपुर में राजस्थान सहित पांच राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने खास रणनीति बनाई है। इस दौरान पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने आपराधिक घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिये पुलिस को भी संगठित होकर गंभीर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि हार्डकोर क्रिमिनल्स के बारे में सभी आवश्यक सूचनाओं को पड़ौसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ साझा कर संगठित अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है।

मिश्रा मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में 5 राज्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। संगठित अपराध के संबंध में आयोजित इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

- आपराधिक घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिये सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता : डीजीपी मिश्रा
- 'विदेश में बैठकर गैंग संचालित करने वालों के विरुद्ध केन्द्र के स्तर पर केंद्रीय यूनिट गठित की जानी चाहिए'।

पुलिस महानिदेशक ने गैंगस्टर एवं हार्डकोर क्रिमिनल के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए गैंगस्टर की गिरफ्तारी के लिए पड़ौसी राज्यों में परस्पर समन्वय की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने संगठित अपराधियों के सम्बंध में क्रिमिनल डेटा व इंटेलिजेंस साझा करने व ऐसे असामाजिक तत्वों को सोशल मीडिया पर फॉलो व समर्थन करने तथा उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी निरन्तर कार्रवाई पर बल दिया। उन्होंने फायरिंग कर रंगदारी की मांग कर भय का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे दोषियों के विरुद्ध भी समन्वित कार्रवाई पर बल दिया। मिश्रा ने जेलों में बन्द अपराधियों द्वारा मोबाइल का उपयोग कर आपराधिक घटनाएं करने को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण करने व बंद हार्डकोर अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता जताई। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हथियार व मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं के संबंध में भी गंभीरता बरतने पर जोर दिया। उन्होंने बाल सुधार गृह में भिजवाये गए बाल अपचारियों के आचरण पर नजर रखकर उनमें वांछनीय सुधार के लिए व्यापक प्रयास का भी आग्रह किया। बैठक में विदेश में बैठकर गैंग संचालित करने वालों के विरुद्ध केन्द्र के स्तर पर केंद्रीय यूनिट गठित की आवश्यकता बताई गई।

पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में 5 राज्यों के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की बैठक ली।

पुलिस महानिदेशक ने साइबर अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए भी सूचनाओं के आदान-प्रदान करने व सामूहिक प्रयास पर बल दिया। उन्होंने बताया कि मेवात क्षेत्र में गत दिनों 60 हजार सिम ब्लॉक की गई है। उन्होंने कहा कि हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध प्रोफेशनल अप्रोच अपनायी जाए। उन्होंने अंतरराज्यीय गैंग्स व अपराधियों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने व एक दूसरे राज्य की पुलिस को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया।

उन्होंने भारतमाला व ग्रामीण सड़को पर पुलिस निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने को रेखांकित किया गया। उन्होंने तकनीकी के साथ ही मानवीय आसूचना एकत्रित करने को भी मजबूत बनाने पर जोर दिया।

संगठित अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय योजना पर हो रही है चर्चा में एडीजीपी एसओजी अशोक राठौड़, पुलिस आयुक्त आनन्द श्रीवास्तव, एडीजीपी दिनेश एमएन, हवासिंह घुमरिया व एस सेंगत्थिर और आईजी ओमप्रकाश ने अपने विचार व्यक्त किए। हरियाणा एडीजीपी चारु बाली, पंजाब एडीजीपी अमित प्रकाश, दिल्ली के स्पेशल सीपी रविन्द्र सिंह यादव व गुजरात के मुकेश पटेल ने अपने राज्यों में संगठित अपराधों की रोकथाम के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

बैठक में आईजी नवज्योति गोगोई व सत्येंद्र सिंह, डीआईजी राहुल प्रकाश, अतिरिक्त सीपी कैलाश बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन सहित संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

खोया पाया

प्लॉट नंबर डी-108, विद्याधर नगर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र रसीद एवं साइट प्लान झोटवाड़ा से विद्याधर नगर के बीच गुम हो गए है कृपया मिलने पर सूचित करें सीता शर्मा, ई-70, प्रेमनगर, गंगा मार्ग, झोटवाड़ा, 9251961624

LOST in Jaipur Sale deed document BK1/1489/13-14 SRO Shivajinagar Ulsoor Bangalore for Flat A307 Ozone Evergreens Apartments Haralur road Bangalore. FIR 279970052300196 lodged at Vaishali nagar Jaipur police station. LR# Jaipur 1726963/2023, Bangalore 0476620/2023. Founder inform within 15 days Vishal Mittal 9571099200

तीये की बैठक

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि ठुकरानी सा. **इन्द्रकँवर गौड** (सज्जन कँवर) धर्मपत्नी ठा. शम्भु सिंह खंगारोत (ठि. ड्योढी) का स्वर्गवास दिनांक 20.02.2023 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 22.02.2023 को शिव पार्क परिवहन नगर में 5:00 से 6:00 बजे तक रखी गई है।

शोकाकुल- ठा. लादू सिंह, ठा .राजेन्द्र सिंह, ठा. राजवीर सिंह, ठा. भरत सिंह, ठा. राजपाल सिंह, गजराज सिंह, बलवीर सिंह, विक्रम सिंह, कु. शैलेन्द्र सिंह, विजीत सिंह, अधिराज, धनन्जय, यशवर्धन, शिवेन्द्र, भं. दिगेन्द्र सिंह, विनय, लवी (पौत्र), डोली (पुत्री), पल्लवी, शिवांगी, कृष्णा (पौत्री) एवं समस्त खंगारोत परिवार।

9509952233, 9828707078

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी **श्रीमती मनोरमा भार्गव** धर्मपत्नी स्व. श्री गोपाल नारायण भार्गव का स्वर्गवास 19.02.2023 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 22.02.2023 को सांयकाल 5:00 से 6:00 बजे तक हमारे निवास स्थान - बी-206, राजेन्द्र मार्ग, बापू नगर, जयपुर पर होगी।

शोकाकुल- आभा- सुधीर, शिखा- राकेश (पुत्री- दामाद), संजीव- मनीषा, संजय (RFC)- शिखा (पुत्र- पुत्रवधू), राशि- मिलिंद, सचिन- आशु, शरद, क्षितिज (नाति, नातिन), शिखर, आरोही (पौत्र, पौत्री), एवं समस्त भार्गव परिवार।

मो.- 9414889014, 9414889013

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे नाम से खरीदशुदा सम्पत्तियां एवं पैतृक संपत्ति अंश एवं हिस्से की जो चल एवं अचल सम्पत्तियां है उस बाबत मेरे भाई व परिवारजन व अन्य मेरे फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर करके बेचान एवं हस्तान्तरण करना चाहते है। वह उनके द्वारा ऐसा किया जाता है तो उक्त समस्त कार्यवाही मेरे प्रति अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी होगी। यदि पूर्व में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही की गयी होगी, तो वह अमान्य है एवं निष्प्रभावी रहेगी। अतः सूचित करें।
धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, एडवोकेट
पता-10/884 मालवीय नगर जयपुर, मो.6375827033

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हाजी निसार अहमद पुत्र श्री चांद बक्स में मेरे पुत्र अकिल अहमद पुत्र निसार अहमद को मेरी चल अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर-बी-459 व बी-179 व बी-190 संजय नगर, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर में है जिसे मैं मेरे उक्त तीनों प्लॉटों से बेदखल करता हूं। मेरे जीवनकाल व मृत्यु के पश्चात मेरे अकिल अहमद का मेरी उक्त तीनों सम्पत्ति से कोई लेन देन नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे को मारता पिटता एवं गाली गलौच करता है, गुण्डागर्दी करता है। भरण-पोषण नहीं देता है। इसलिए मैं मेरी सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ।

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर
5 वीं व 6वीं मंजिल नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
Phone:0141-2741805, E-mail:rschfjaipur@yahoo.com
क्रांक-543/23 दिनांक-20/02/2023
आम सूचना आवासन संघ द्वारा निर्मित कमला नेहरू नगर आवासीय योजना अजमेर रोड, जयपुर का भवन संख्या-2-ज-3 श्री वर्गीस के.जे.पुत्र श्री के.एन.जोन को आवंटित किया गया था, जिसका परप्प्चूअल डीड एवं कन्वेंस डीड दिनांक 10.11.1987 को उप पंजीयक कार्यालय सांगानेर जयपुर मे रजिस्टर्ड हुआ, जिसे श्री वी.के.गोयल पुत्र श्री दीनदयाल गोयल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर स्वयं के नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है। जिस किसी को उक्त भवन पर आपत्ति हो तो संघ कार्यालय में 15 दिवस में प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। अन्यथा उक्त भवन संख्या-2-ज-3, कमला नेहरू नगर, आवेदक के नाम हस्तान्तरण कर दिया जावेगा।
(ज्योति गुप्ता) प्रबंध निदेशक
आवासन संघ लि., जयपुर

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम सुनील से बदलकर सुनील भाटी पुत्र स्व.ज्ञानचन्द भाटी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी प्लॉट नम्बर 31, सेक्टर-6, विद्याधर नगर, जयपुर

मैंने मेरा नाम विवाह उपरान्त अलीशा मेसी की जगह अलीशा वरन्दानी धर्मपत्नि श्री ललित वरन्दानी रख लिया है। भविष्य में मुझे अलीशा वरन्दानी के नाम से जाना जायें। निवासः 40, शालीमार बाग, चित्रकूट मार्ग, जयपुर।

मैंने अपना नाम सुमन देवी जन्म दिनांक 10.03.1980 से बदलकर सुमन कुमारी जन्म दिनांक 16.06.1979 पत्नी वीरेन्द्र सिंह रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम स जाना जावे। निवासी-लाम्बी जाट की थली, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज.

मैंने अपना नाम सीमा अग्रवाल से बदलकर पूजा गोयल पत्नी पंकज गोयल रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी-कमला ऑयल मिल, मैन बस स्टैण्ड, पावटा

मैंने विवाह के पश्चात अपना नाम दिव्या शर्मा से बदलकर दिव्या संभवानी (Divya Sambhwani) रख लिया है। भविष्य में मुझे अपने नये नाम दिव्या संभवानी (Divya Sambhwani) पत्नी श्री लविश संभवानी निवासी 27, तुलसी सदन, तालकटोरा कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर के नाम से जाना जाये।

मैने अपना नाम- "के. जाह्नवी" से बदलकर "जाह्नवी कोम्माजोश्युला" (Jahnavi Kommajoshyula) पुत्री- "सूर्य प्रकाश राव कोम्माजोश्युला" रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाने 11/ 1587 मालवीय नगर जयपुर

मैने अपना नाम- "के. सूर्य प्रकाश राव" से बदलकर- "सूर्य प्रकाश राव कोम्माजोश्युला" (Surya Prakash Rao Kommajoshyula) रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे 11 /1587 मालवीय नगर जयपुर

I have changed my name from Yogesh Kumar Sharma to Yogesh Sharma S/o Ashok Sharma for all purpose Resi.: 12, Vivek Vihar, Vijaypura, Agra Road, Jaipur

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2999 दिनांक-21.02.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 80/78 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 223.65 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री जेठानन्द भावनानी पुत्र श्री बी.एच. भावनानी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2298 दिनांक 27.06.1994 को जारी किया गया। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1218 दिनांक 06.12.1994 के द्वारा श्रीमती ममता भावनानी पत्नी श्री जेठानन्द भावनानी का नाम जोड़ दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 13.12.1994 को प्राप्त कर लिया गया था। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 283 दिनांक 23.12.1994 के द्वारा श्री जेठानन्द भावनानी एवं श्रीमती ममता भावनानी के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 26.12.1994 को करवाया गया। इसके पश्चात श्रीमती ममता भावनानी की मृत्यु दिनांक 15.07.2021 को हो जाने के कारण इनके पति श्री जेठानन्द भावनानी पुत्र श्री बी.एच. भावनानी ने 1/2 अविभाजित हिस्से का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री जेठानन्द भावनानी पुत्र श्री बी.एच. भावनानी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2998 दिनांक-21.02.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 10/172 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 90.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री गुलाब चन्द को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 193 दिनांक 03.02.1988 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 24.05.1988 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3595 दिनांक 27.09.2000 के द्वारा श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री गुलाब चन्द के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 22.03.2001 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री प्रकाश चन्द जैन की मृत्यु दिनांक 13.12.2019 को हो जाने के कारण इनके पुत्रान श्री विनोद कुमार जैन एवं श्री जयन्त प्रकाश जैन पुत्रान स्व. श्री प्रकाश चन्द जैन ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं वसीयतनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री विनोद कुमार जैन एवं श्री जयन्त प्रकाश जैन पुत्रान स्व. श्री प्रकाश चन्द जैन के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2965 दिनांक-20.02.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 6/361 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 112.50 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मुकुट लाल शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3827 दिनांक 11.12.1989 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 09.01.1990 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 288 दिनांक 23.12.1994 के द्वारा श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मुकुट लाल शर्मा के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 26.12.1994 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा की मृत्यु दिनांक 28.11.2020 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती निर्मला शर्मा पत्नी स्व. श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती निर्मला शर्मा पत्नी स्व. श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in Phone No.: 0141-2782772
क्रमांक: DHC-II/2688 दिनांक: 1/2/2023
जाहिर आम-सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 120/73, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन डॉ. विनय कुमार शर्मा पुत्र श्री आर.के. शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3647 दिनांक 30.04.1992 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 11.06.1992 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात डॉ. विनय कुमार शर्मा की मृत्यु दिनांक 22.07.2011 को हो जाने के कारण इनके पुत्रान श्री राजीव शर्मा एवं अनुराग शर्मा पुत्रान स्व. डॉ. विनय कुमार शर्मा ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तांतरण संबंधी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है।
अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री राजीव शर्मा एवं अनुराग शर्मा पुत्रान स्व. डॉ. विनय कुमार शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबंधक, वृत द्वितीय, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास/फ्लैट संख्या-15/क/5 (एफ.एफ.) लाल कोठी, ज्योति नगर, जयपुर क्षेत्रफल 70.00 वर्ग गज का आवंटन श्री आर. एस. गुरनानी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 6325 दिनांक 30.04.1977 एवं आवंटन पत्र कमांक 8023 दिनांक 16.07.1977 जारी किया गया था। श्री रामचन्द गुरनानी (उर्फ श्री आर.एस. गुरनानी) की मृत्यु दिनांक 21.02.2014 को हो जाने के कारण श्री दीपक गुरनानी पुत्र श्री आर.एस. गुरनानी उर्फ रामचन्द गुरनानी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास/फ्लैट का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास/फ्लैट के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री दीपक गुरनानी पुत्र श्री आर.एस. गुरनानी उर्फ रामचन्द गुरनानी के पक्ष में उक्त आवास/फ्लैट के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-1/SC/123 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 21.60 वर्ग मीटर का आवंटन श्री कमलेश कुमार राठौड़ पुत्र स्व. श्री राम करण राठौड़ को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 5543 दिनांक 04.10.2013 एवं संशोधित आवंटन पत्र कमांक 9047 दिनांक 31.12.2013 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त व्यावसायिक भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 06.03.2014 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री कमलेश कुमार राठौड़ पुत्र स्व. श्री राम करण राठौड़ के द्वारा कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 06.03.2014 को उक्त व्यावसायिक भूखण्ड का मुख्त्यारनामा आम श्री मोहित सिंह भाटी पुत्र श्री किशन सिंह को नियुक्त किया गया। तत्पश्चात मुख्त्यारनामा आम श्री मोहित सिंह भाटी पुत्र श्री किशन सिंह के द्वारा उक्त व्यावसायिक भूखण्ड का बेचान जरीये विकय पत्र के मंजुलता बारहठ पुत्री श्री गंगा सिंह को कर, विकय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर अष्टम में दिनांक 22.07.2014 को करवाया गया। तत्पश्चात मंजुलता बारहठ पुत्री श्री गंगा सिंह के द्वारा उक्त व्यावसायिक भूखण्ड के संबंध में श्री गंगा सिंह पुत्र श्री शुभकरण के पक्ष में उपहार नामा का निष्पादन करवाया गया। उक्त उपहार नामा कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 23.05.2016 को पंजीकृत है। तत्पश्चात श्री गंगा सिंह पुत्र श्री शुभकरण के द्वारा उक्त व्यावसायिक भूखण्ड का बेचान जरीये विकय पत्र के श्री गेंदी लाल मीना पुत्र श्री भोरया मीना को कर, विकय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक ,जयपुर प्रथम में दिनांक 02.12.2019 को करवाया गया। श्री गेंदी लाल मीना पुत्र श्री भोरया मीना के द्वारा व्यावसायिक भूखण्ड का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती केता का नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया है। अतः नाम दर्ज के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदनकर्ता- श्री गेंदी लाल मीना पुत्र श्री भोरया मीना का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जायेगा।
सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर